न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)
(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

रामलाल पुत्र खेंवरा जाति मीणा निवासी सीदडा तह. निवाई जिला टोंक राज.

–वादी

बनाम

1. रामराय पुत्र मांगीलाल जाति ब्राह्मण निवासी सीदडा तह. निवाई जिला टोंक राज.
2. तहसीलदार निवाई

–प्रतिवादीगण

**दावा बाबत उद्घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज
एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

मुकदमा संख्याः–67/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री हरिताभ कुमार आदित्य आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री रामावतार शर्मा वकील वादी व श्री हीरालाल चौधरी वकील प्रतिवादी सं. 1 मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामानुसार स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेश दिया जाता है कि वादवर्णित भूमि ख.नं. 731 रकबा 10 बिस्वा वाके ग्राम सीदडा में प्रतिवादी सं. 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर उसके स्थान पर बतौर खातेदार 1/2 हक व हिस्से का वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 03 सन् 2018 को जारी की गई।

15/3/18
उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

47Dup.

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :–67/2017

निर्णय दिनांकः–15.03.2018

उनवान

रामलाल पुत्र खेंवरा जाति मीणा निवासी सीदडा तह. निवाई जिला टोंक राज.

–वादी

बनाम

1. रामराय पुत्र मांगीलाल जाति ब्राह्मण निवासी सीदडा तह. निवाई जिला टोंक राज.
2. तहसीलदार निवाई

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज
एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री रामावतार शर्मा वकील वादी
श्री हीरालाल चौधरी वकील प्रतिवादी सं. 1

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि आराजी ख.नं. 731 रकबा 10 बिस्वा वाके ग्राम सीदडा जिसमें वादी 1/2 हिस्से का वादी तन्हा खातेदार काश्तकार है। वर्णित भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हक व हिस्सा निहित था जिससे वादी ने उसका सम्पूर्ण हक व हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.6.1979 को खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था तभी से प्रतिवादी सं. 1 के 1/2 हक व हिस्से में वादी का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसका नामान्तकरण आज दिनांक तक नहीं भरा गया है। अतः वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण उद्घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि वादवर्णित भूमि ख.नं. 731 रकबा 10 बिस्वा वाके ग्राम सीदडा में प्रतिवादी सं. 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर उसके स्थान पर बतौर खातेदार 1/2 हक व हिस्से का वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज किये जाने के आदेश प्रदान किया जावे।

दावा पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री हीरालाल चौधरी एड. ने वकालतनामा पेश किया। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ने स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया कि वादी की अधियाचना अनुसार ~~वाद~~ डिक्री कर दिया जावे। राजीनामा तस्दीक किया गया। अतः वादी का वाद उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामानुसार स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेश दिया जाता है कि वादवर्णित भूमि ख.नं. 731 रकबा 10 बिस्वा वाके ग्राम सीदडा में प्रतिवादी सं. 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर उसके स्थान पर बतौर खातेदार 1/2 हक व हिस्से का वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 15.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

हरिताभ कुमार आदित्य
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी निवाई

Scanned by CamScanner